



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4414]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2018/कार्तिक 11, 1940

No. 4414]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2018/KARTIKA 11, 1940

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2018

का.आ. 5621(अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अनुदेश जारी करती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियों, जिनका कारोबार (टर्नओवर) 500 करोड़ रुपये (पांच सौ करोड़ रुपये) से अधिक है और सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जो भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित हैं, को ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफार्म पर रखना होगा। प्रत्येक राज्य में कंपनियों के रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के अधीन कंपनियों द्वारा इन अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ऐसे अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए भारत सरकार का लोक उद्यम विभाग सक्षम प्राधिकरण होगा।

[फा.सं. 16/8/2018-पीएंडजी/पॉलिसी]

राम मोहन मिश्रा, अपर सचिव और विकास आयुक्त

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2018

S.O. 5621(E).—In exercise of powers conferred by section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby issues the following instructions that all companies registered with the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with a turnover of more than Rs. 500 crore (rupees five hundred crore) and all Central Public Sector Enterprises shall be required to get themselves onboarded on the Trade Receivables Discounting System platform, set up as per the notification of the Reserve Bank of India. The Registrar of Companies in each State shall be the competent authority to monitor the compliance of these instructions by companies under its jurisdiction and the Department of Public Enterprises, Government of India shall be the competent authority to monitor the compliance of such instructions by Central Public Sector Enterprises.

[F.No. 16/8/2018-P&G/policy]

RAM MOHAN MISHRA, Addl. Secy. and Development Commissioner

6514 GI/2018